

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा
संख्या-15

अष्टम (बजट) सत्र

नुगार, दिनांक-23 मार्च, 2022 ई।

समय-11.00 बजे पूर्वाहन से 06.41 बजे अप०, तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन घ्रहण किया।

1. सूचनाओं का दिया जाना:-

- I.- माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने राज्य में खराब विधि-व्यवस्था की ओर आसन का व्याप आकृष्ट करते हुए सूचित किया कि दिनांक-22.03.2022 को उनके विधान सभा सेव में एक लाइ को अपराधितों द्वारा गोली भार दी गयी और इसके पूर्व अशोक नगर रोड नं०-04 में चुनौती महिला की हत्या कर दी गयी, वरन् तु पुलिस-प्रशासन गूकरार्क बना रहा।
- II.- माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल ने रामवर्मी वार्ड सरहुल के अवसर पर चुनौत पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने की मांग की जिसे माननीय संसदीय कार्यपाली द्वारा संज्ञान में लिया गया।
- III.- माननीय सदस्य, श्री मधुरा प्रसाद महतो ने आसन का व्याप आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि उनके विधान सभा सेव के अन्तर्गत दो समूहों के बीच हुए फ़ण्डे का निपटारा शांति समिति के द्वारा कराया जाय।

(शोरगुल)

2. प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-24

- (क) उत्तरित कुल-03, अ० स०-क-179, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०विंस०,
अ० स०-क-87, श्री राज सिंहा, स०विंस०,
अ० स०-ख-88, श्री मनीष जायसवाल, स०विंस०।

(ख) अनागत कुल-21, अ० स०-191 से लेकर अ० स०-211 तक।
(इस क्रम में अमन द्वारा माननीय सदस्य, श्री वंशु सिंह, डॉ० इरकान अलारो एवं माननीय सदस्य, श्रीमती रायिका यादेंग सिंह को निरेश दिया गया कि उनके बाहर अपने घोरों को लेकर भरने पर बैठी माननीय सदस्य, मुझी अमन प्रसाद को सम्प्रभान सदन में लाए जाया। इस अवसर पर माननीय सदस्य को सम्प्रभान सदन में लाया गया।)

(ii) तारंकित प्रश्नों की कुल संख्या-55

- (क) उत्तरित कुल-07, तारं०-क-326, श्री उमाशंकर अकेला, स०विंस०,
तारं०-ख-633, श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स०विंस०,
तारं०-634, डॉ० कुशवाहा शाश्वतभूषण मेहता, स०विंस०,
तारं०-635, श्री मधुरा प्रसाद महतो, स०विंस०,
तारं०-636, श्री भूषण बहादुर, स०विंस०,
तारं०-637, श्रीमती पुष्पा देवी, स०विंस०,

तारीं-६३८, श्री नगन विकास कोनगाड़ी, सौंधिंस०।

(ख) अनागत कुल-४८, तारीं-६३९ से लेकर तारीं-६८६ तक।

(इस ज्ञय में जालन की अनुप्रवाह से माननीय सदस्य, सूची जन्म प्राप्त द्वारा अक्टूबर-२०१६ में राष्ट्रीय विभाग-विभाग विभाग के विवरों और गोपनीकारण का विवार से उल्लेख करते हुए इसकी विषय और विवि Existing Judge से करावे जाने की खोज की गयी जिसे संसदीय कार्यालय द्वारा संज्ञान में लिया गया।)

३.आसन से नियमन:-

आसन द्वारा निम्न नियमन दिये गये-

“इन दिनों कई बार आसन के संज्ञान में यह विषय आया है कि राज्य में कठिप्रथा पदाधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों को संवैधानिक एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप यथोचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आसन इस पर खोद व्यक्त करता है एवं माननीय सदस्यों के संरक्षण एवं अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के अनुरूप आसन यह ठीक समझता है कि राज्य के सभी पदाधिकारियों, चाहे वो जिस भी स्तर के हो, वे माननीय सदस्यों को राज्य के घोषित अनुपूर्वी सूची के अनुरूप यथोचित सम्मान दें। आसन राज्य के मुख्य सचिव एवं मंत्रिमण्डल निगरानी एवं समन्वय विभाग के सचिव को यह निर्देश देता है कि यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होंगी कि माननीय सदस्यों के प्रति निर्धारित व्यवहार का अनुपालन शब्दशः राज्य के सभी पदाधिकारियों द्वारा किया किया जाय।”

४.शून्यकाल की सूचनायेः-

नियमानुसार आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनाये पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीं-

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,

श्री अनन्त कुमार आड्डा,

श्री उमरशंकर अकेला,

श्री समरीलाल,

डॉ. इरफान अंसारी,

श्री बंधु तिकीं,

श्री रामचन्द्र सिंह,

श्री रंगल कालिन्दी,

श्री समीर कुमार मोहनी,

श्री विरचो नारायण,

सुश्री अम्बा प्रसाद,

श्री रामदास सोरेन,

डॉ. नीरा यादव,

श्री दशरथ गागराई,

डॉ. लम्बोदर महतो,

श्री विनोद कुमार सिंह,

श्री महुरा प्रसाद महतो,

श्री कोचे मुण्डा,

श्री किशन कुमार याद, वर्ष २०२१ में ३५-४०वाँ
 श्री कंदार हजरा, वर्ष २०२१-२०२२ तक ३५-४०वाँ ३५-४०वाँ संघर्ष (३)
 श्री राज सिंहा, वर्ष २०२१-२०२२ तक ३५-४०वाँ ३५-४०वाँ संघर्ष (४)
 श्री नारायण दास, वर्ष २०२१-२०२२ तक ३५-४०वाँ ३५-४०वाँ संघर्ष (५)
 श्री भूषण तिकी, वर्ष २०२१-२०२२ तक ३५-४०वाँ ३५-४०वाँ संघर्ष (६)
 श्री राजेश कच्छप, वर्ष २०२१-२०२२ तक ३५-४०वाँ ३५-४०वाँ संघर्ष (७)
 श्री नमन विकसल कोमगाड़ी। वर्ष २०२१-२०२२ तक ३५-४०वाँ ३५-४०वाँ संघर्ष (८)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव ने अपने द्वारा पूछे गये प्रसन्न का विवाह द्वारा गलत उत्तर दिये जाने पर आपात अक्षय को गयी।)

५. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएँ:-

- I- माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,
- (इस आसन पर माननीय सदस्य, श्री विरली लालगंग ने विधायक भर की राशि बढ़ाये जाने वाला मानवीय सदस्य का विवाह किया गया किंवदं जाने हेतु आसन पर अनुरोध किया।)
- II- माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार चौरसिया एवं अन्य द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,
- III- माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,
- (इस आसन पर माननीय सदस्य, श्री रामेश खड्गस्थी ने भी विधायक भर की राशि बढ़ाये जाने हेतु आसन के माध्यम से मानवीय पुरुषोंसे से अनुरोध किया।)
- IV- माननीय सदस्य, श्रीमदी सीता मोरेन एवं अन्य द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

६. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

- I- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री गलेन जोसेफ गर्स्टिन ने सभा नियम-216(1) के तहत याचिका समिति का 22वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा,
- II- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री कंदार हजरा ने सभा नियम-216(1) के तहत सदाचार समिति का 16वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

७. अनुमति विधेयक की सूचना:-

आसन की अनुमति से सभा सचिव द्वारा निम्न सूचना दी गयी-

'एचम् झारखण्ड विधान सभा के वर्तमान सत्र में दिनांक-02 मार्च, 2022 को सभा में उद्भृत एवं पारित झारखण्ड (विनियोग-01) विधेयक, 2022 पर माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक-09.03.2022 को अनुमति प्रदान कर दी है एवं इसे झारखण्ड अधिनियम संखा-04/2022 के रूप में अधिमूलित किया है।'

८. विधेयक की वापसी:-

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री यिधिलेश कुमार ठाकुर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने पंडित रघुनाथ मुर्मू बनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक-2021 जिसे राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड द्वारा कलिपय चुटियों के कारण वापस किये जाने के उपरांत झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस किये जाने के निमित्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

9.वित्तीय कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रधारी मंत्री (मुख्यमंत्री), श्री हेमन्त सोरेन द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 के आय-व्ययक में सम्बलित अनुदानों की भौगो खण्ड-(10) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) की भौगो सभा में प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार चाहरी द्वारा कटीती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

10.आसन से घोषणा:-

आज दिनांक-23 मार्च, 2022 को सत्र समाप्ति के उपर्यंत मुख्यमंत्री एकादश एवं अध्यक्ष एकादश के बीच सत्र समाप्ति के तुरंत बाद होनेवाले क्रिकेट टीम की घोषणा निम्न प्रकार से की गयी-

अध्यक्ष एकादश टीम	मुख्यमंत्री एकादश टीम
श्री रवीन्द्रनाथ महतो, कप्तान	श्री हेमन्त सोरेन, कप्तान
श्री रणधीर कुमार सिंह, उप कप्तान	श्री प्रदीप यादव, उप कप्तान
श्री नवीन जायसवाल	डॉ. इरफान अंसारी
श्री अमित कुमार मण्डल	श्री कुमार जयमंगल
श्री आलोक कुमार औरमिया	श्री बन्ना गुना
श्री सुदेश कुमार महतो	श्री विकास कुमार मुण्डा
श्री अमित कुमार यादव	श्री मिशिलेश कुमार ठाकुर
श्री अमर कुमार चाहरी	श्री बसंत सोरेन
श्री अनन्त कुमार ओझा	श्री हफ्तोडुल हसन-श्री दशरथ गुगराई
श्री विरेची नारायण	श्री दिवेश विलियम मराण्डी
श्री राज सिंहा	श्री राजेश कच्छप
श्री द्वृष्टि महतो	श्री यादव
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा	श्री उमाशंकर अकेला
श्री नारायण दास	डॉ. सरकार अहमद
श्री भानु प्रताप शाही	श्री बघु लिकी
श्री मनीष जायसवाल	श्री भूषण बड़ा

11.वित्तीय कार्य(क्रमांक-9 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत भौगो पर आसन के निदेश से माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार चाहरी ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके बाद निम्नोक्त माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया-

श्री सुदेश कुमार,
श्री भानु प्रताप शाही,
श्री उमाशंकर अकेला,
श्री प्रदीप यादव,

डॉ. लम्होर महातो, डॉ. विजय कुमार ओझा,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री विनोद कुमार सिंह,
डॉ. इरकान अंसारी।

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री), श्री हेमन्त सोरेन द्वारा विचार वर्ष-2022-23 के आवधारक में सम्मिलित अनुदानों को मीगो खण्ड-(10) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) को मीगे सभा में प्रस्तुत को गयी औ सभा द्वारा बारी-बारी से गिलोटिन (मुख्यबन्द) के माध्यम से स्वीकृत हुई तथा माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बारी द्वारा प्रस्तुत कर्तवी का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

12. विधायी कार्य:-

राजकीय (वित्त)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक-2022

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ. रामेश्वर उर्हल द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरस्थापित किया गया।

पुरस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 एवं 03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् “झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक-2022” सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक-24.03.2022 के 11.00 बजे पूर्वों तक के लिए स्वतित की गयी।

रीचो,

दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई।

सेप्ट जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।

रीचो,

दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई।

सेप्ट जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।

रीचो,

दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई।

सेप्ट जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।

रीचो,

दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई।

सेप्ट जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।

रीचो,

दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई।

सेप्ट जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।

रीचो,

दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई।

सेप्ट जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।

रीचो,

दिनांक- 23 मार्च, 2022 ई।

सेप्ट जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।